FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर, अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **रहीस** बनाम **सरकार**

किस्म मुकदमा **प्रा0पत्र वास्ते सुपुर्दगी आर.बी.एक्ट**

प्रकरण संख्या 15/212/2023 दा0दि0 26.09.2023

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.03.2024	यह पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रा0पत्र लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी जप्तशुदा वाहन महिन्द्रा बोलेरो रजि0 सं0 एच.आर. 38 एक्स. 3972 धारा 5, 6, 8 आर.बी.एक्ट के तहत थाना मालाखेड़ा का पंजीकृत स्वामी है। प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन दिनांक 14.12.2022 को वसीम पुत्र हनीफ को बेचान कर दिया था। वसीम द्वारा उक्त वाहन को कानून का उल्लंघन करके चलाया जिससे थाना मालाखेड़ा द्वारा दिनांक 22.03.2023 को उक्त वाहन को जप्त कर लिया गया। मिन प्रार्थी को भी उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी होने के कारण गिरफ्तार किया गया। प्रार्थी द्वारा अपनी जमानत कराई गई। प्रार्थी का वाहन पुलिस थाना मालाखेड़ा में खुले में खडे रहने से खराब हो रहा है। प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन की गत एक वर्ष से लॉन की किस्त भी अदा नहीं हो पाई है। वसीम पुत्र हनीफ के नाम मुख्त्यारनामा होने के कारण केस के अनुसंधान अधिकारी उसे जांच में शामिल करना चाहते है, मगर वसीम जानबुझकर अनुसंधान में सहयोग नहीं कर रहा है। श्रीमाने से निवेदन है कि प्रार्थी का जप्तशुदा वाहन प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर वाहन सुपुर्दनामे पर दिलाया जावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर थानाधिकारी पुलिस थाना मालाखेड़ा से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी द्वारा रिपोर्ट पत्र क्रमांक 4802 दि0 19.11.2023 एवं 4890 दिनांक 03.12.2023 पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में जप्तशुदा वाहन के संबंध में आरोपी वसीम पुत्र हनीफ निवासी ख्वाजलीकलां तहसील पुन्हाना जिला नूंह मेवात हरियाणा से अनुसंधान किया जाना शेष है। प्रकरण हाजा में जप्तशुदा वाहन महिन्द्रा बोलेरो	

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

रजि0 सं0 एच.आर. 38 एक्स. 3972 को सुपुर्दगी पर नहीं दिया जावें। पत्रावली का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। मुताबिक रिपोर्ट थानाधिकारी मालाखेड़ा जप्तशुदा वाहन महिन्द्रा बोलेरो रजि0 सं0 एच. आर. 55 ए.बी. 0616 को सुपुर्दगी हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
अलवर